जाये। चक रिडमलसर बारानी के खाता स0 50/11 के मुरबा न0 25 के कि0न0 2,9,12,19,22 प्रत्येक 0.00848 है0 पश्चिमी दिशा, किला न0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 व मुरबा न0 26 किला न0 4, 7, 14, 17, 24 प्रत्येक 0.236 है0 पूर्वी दिशा व किला न0 5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक 0.253 है0 कुल भूमि 03.7524 है0 की वादी के पक्ष मे विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित की जाये। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा दी जाये कि वोह वादीगण की हिस्सा की भूमि मे कोई दखलअन्दाजी नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 13 बैंक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी सं0 1 ता 9 उपस्थित नहीं आने पद उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं0 10 को तर्क किया गया। वादी अधिवक्ता ने तहसील पदमपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार पदमपुर के पत्रांकः भू0अ0/वि0प्र0/2019/3964 दिनांक 16.10.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं जताने पर विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पदमपुर विभाजन प्रस्ताव अनुसार है। कि पटवारी हल्का रिडमलसर से जांच रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट पटवारी चक रिडमलसर बारानी जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता सं0 50 के मुरबा नं0 25, 26/12.523 है0 बारानी आराजी की मुताबिक आदेश मौका जांच करने पर पाया की उक्त रकबे पर वादी मुरबा नं0 25 के किला नं0 1/0.253, 2/0.008, 9/0.008, 10/0.253, 11/0.253, 12/0.008, 19/0.008, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.009 कुल 1.306 है0 व मुरबा नं0 26 के किला नं0 4/0.236, 5/0.253, 6/0.253, 7/0.236, 14/0.236, 15/0.253, 16/0.253, 17/0.236, 24/0.237, 25/0.253, कुल 2.446 है0 कुल 3.752 है0 बारानी आराजी पर बिना किसी विवाद के काबीज है। शेष खातेदार को बदस्तुर रखते हुए वादी का वाद पत्र उचित है।

वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव

(सुभाष कुमार)
अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.26 13:34:17 IST
Reason: SelfAttested